न्यायालयः— श्री अभिमन्यु कुमार,न्यायिक दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

बिहारीगंज थाना कांड सं0—56 / 2020

08-05-2020

दिनांक 03.03.2020 से काराधीन अभियुक्त मोहन कुमार की ओर से वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

कोविड—19 के वजह से वि0सी0 के माध्यम से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिसे भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी कोई अपराध नहीं किया है। इस वाद से संबंधित कोई भी जमानत आवेदन उपरी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। वाद के सभी धाराएं जमानतीय है सिवाय धारा— 307 भा0द0वि0 को छोड़कर। प्रार्थी अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को कोविड—19 के वजह से वि0सी0 के माध्यम से सुना। उन्होंने जमानत का सख्त विरोध करते हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी धारा— 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 354ए., 504, 506, भा0द0वि0 में दर्ज किया गया है। जिसमें धारा— 307 भा0द0वि0 गंभीर प्रकृति का है तथा दोनों हाथ के अंगूठे के उपर खरोच का निशान है एवं सीना के दाहिने ओर खून बहता हुआ जख्म है। अभियुक्त के विरूद्ध विशिष्ट आरोष है।

अतः उपरोक्त, वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों आरोप की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त मोहन कुमार को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अभियुक्त मोहन कुमार का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

09/5/20

न्या0 दण्ड0,प्र0श्रेणी
उदाकिशुनगंज।